न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(सुखराम खोखर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 01/2014
प्रविष्टि दिनांकः– 10.01.2014

छीतर पुत्र काना खारोल जाति खारोल निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.... अपीलाण्ट

बनाम

1–मूल्या पुत्र श्रीलाल खारोल जाति खारोल निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–गीला पुत्र श्रीलाल खारोल जाति खारोल निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
3–तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 तहसीलदार टोडारायसिंह

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री अशोक कासलीवाल अभिभाषक रेस्पाडेण्ट्स संख्या 1 व 2

<u>निर्णय</u> दिनांक 05.12.2019

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट व्यथित होकर नामान्तकरण को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कुल आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 8.94 है0 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह मे स्थित है,उक्त भूमियो मे अपीलांट के पिता स्व0 काना व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से खातेदार थे। जिसमे सभी खातेदारान का हिस्सा 1/3,1/3,1/3 था उक्त भूमियो के सम्बंध मे तहसीलदार टोडारायसिंह ने राजस्व अभियान मे नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 को स्वीकार किया है। जिसमे तहसीलदार द्वारा अपीलांट के पिता एंव रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का हिस्सा समान रूप से तस्दीक नही किया है। तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरण को अभियान मे पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे की अनुपालना मे भरा गया है,परन्तु यह नामान्तकरण मुताबिक निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

एवं सहमति के नही होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। नामान्तकरण मे अपीलांट के पिता के हिस्से मे 2.18 है0 रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से मे 4.84 है0 व 2 के हिस्से मे 1.92 है0 भूमि का नामान्तकरण भरा गया है,जबकि तीनो खातेदारान का हिस्सा समान होना चाहिए था। अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलांट उनके हिस्से की 1/3 भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमियो मे उक्तानुसार उसका अंकन हो चुका है। रेस्पो0 संख्या 1 राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलिभगत कर अपीलांट के पिता व रेस्पो. संख्या 2 को नाजायज रूप से नुकसान पंहुचाने की नियत से स्वंय के पक्ष मे अधिक भूमि का उक्त नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकार करा लिया। अब उक्त भूमि को बैचान करने एवं अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। अपीलांट का आज भी अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा तस्दीक किये किये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने जवाबी बहस में कथन किया कि तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रार्थीगण गीला,मूल्या व काना पुत्र श्रीलाल जाति खारोल निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 केम्प कुहाडाबुजुर्ग मे अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 62 किता 19 रकबा 8.94 है0 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग का तकास्मा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तीनो खातेदारान की सहमति के उपरान्त गीला को 1.92 है0,काना को 2.18 है0 व मूल्या को 4.84 है0 भूमि का बॅटवारा किया जाने के उपरान्त ही नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह को तस्दीक किया है। विवादित जमीन पर नामान्तकरण के अनुसार ही पक्षकारान का कब्जा है। तकास्मा कराने से पूर्व विधिवत रूप से पक्षकारान की सहमति ली गई है। नामान्तकरण मे किसी प्रकार की त्रृटि नही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार(भू.अ.) टोडारायसिंह का प्रशासन गांवो के संग अभियान मे बंटवारा आदेश कमांक/4/भू.अ./09 दिनाकं 16.11.2010 को पारित किया है कि "प्रार्थीयान श्री गीला,काना,मूल्या पुत्र श्रीलाल जाति खारोल निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व आपसी बंटवारा पत्र जमाबंदी ग्राम कुहाडाबुजुर्ग सम्वंत 2064-2067 खाता संख्या 62 किता-19 रकबा 8.94 है0 लगान 84.14 नियमानुसार मौके पर बंटवारा कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की स्वीकृती एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	लगान
1	गीला पुत्र श्रीलाल खारोल सा0 देह खातेदार राहिन अ.क्षे.ग्रा. बैंक उनियारा खुर्द	131	0.34	2.38
		429/1	0.10	1.90
		988/3366/1	0.02	1.90

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
1066

Scanned by CamScanner

		1132/1	0.32	6.08
		1145/1	0.07	1.33
		1352/1	0.23	2.30
		1516	0.84	5.88
	कुल किता	**7**	**1.92**	**19.87**
2	काना पुत्र श्रीलाल खारोल सा0 देह खातेदार राहिन अ.क्षे. ग्रा. बैंक उनियारा खुर्द	129	0.58	4.06
		988/3366/2	0.02	4.06
		1132/2	0.39	7.41
		1352/2	0.23	2.30
		655	0.16	1.28
		2714	0.80	4.0
	कुल किता	**6**	**2.18**	**19.05**
3	मूल्या पुत्र श्रीलाल खारोल सा0 देह खातेदार राहिन अ.क्षे. ग्रा. बैंक उनियारा खुर्द	113	0.60	4.20
		116	0.28	1.96
		429/2	0.09	1.71
		485	0.25	2.00
		574	1.05	8.40
		644	1.09	8.72
		645/3049	0.33	2.64
		388/3366/3	0.02	2.64
		2703	0.42	2.10
		2418	0.15	3.23
		2406	0.17	3.23
		1145/2	0.39	7.41
	कुल किता	**12**	**4.84**	**45.22**

क्रमांक/ /भू.अ./2010 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– पटवारी हल्का कुहाडाबुजुर्ग को भेजकर उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे"

तहसीलदार टोडारायसिह के उक्त निर्णय के साथ संलग्न नक्शा कुरेजात मे अलग–अलग खातेदारो के हिस्से मे आने वाली भूमि को अलग–अलग रंग से भरकर बंटवारा को नक्शे मे दर्शाया जाकर खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये है।

तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त निर्णय की पालना मे पटवारी हल्का कुहाडाबुजुर्ग, भू.अ. निरीक्षक वृत दतोंब तथा तहसीलदार टोडारायसिंह ने नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह भरकर स्वीकार किया गया है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग तहसीलदार टोडारायसिंह ने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे पारित बंटवारा आदेश/निर्णय क्रमांक /4/भू.अ./09 दिनाकं 16.11.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

2010 की पालना मे स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे विधिवत बंटवारा आदेश कमांक/4/भू.अ./09 दिनाकं 16.11.2010 की पालना मे स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 16.11.2010 वाके ग्राम कुहाडाबुजुर्ग यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.06 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: